

फर्द अहकाम  
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिक राय (दौसा )  
 बामजीलाल बनाम बलीदेव वगै०

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न. 119 / 202

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तारीख में जारी
3/2/25	<p>मूल वाद में प्रारम्भ सिफल तलबी फेज छिने जाने पर मूल वाद के साथ प्रशापनी तलब की गई। मूल वाद प्राटिजु छिना जा चुका है अतः प्रारम्भ अस्थाई निषेध खारिज छिना जावा है प्रशापनी फेजल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 सिक राय जिला दौसा